न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 3/2018

सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई निवासी चक 34 जीजी तहसील व श्रीगंगानगर । —— **अपीलार्थी**

बनाम

1. बलदेवसिह पुत्र वरियामसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मम्मडखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. मलकीतसिंह पुत्र वरियामसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मम्मडखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. सुखदेवकौर पुत्री वरियामसिंह पत्नी जगमेलसिंह जाति रामगढिया निवासी 10 चक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. महेन्द्रकौर उर्फ सुखविन्द्रकौर पुत्री वरियामसिंह पत्नी मुखत्यारसिंह जाति रामगढ़िया निवासी रोटांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजकौर पुत्री वरियामसिंह पत्नी सुखपालसिंह जाति रामगढ़िया निवासी लूणिया तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. नत्थूराम
7. हंसराज
8. हरचंद
9. दलीपकुमार
10. भागीरथ

   पिसरान रामकरण जाति बिश्नोई नि. चक 34 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेटान

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 26.12.2017

26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः–

श्री बलवंत विश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वरियामसिंह मुखत्यार आम रेस्पो संख्या 1 सें 5

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :–** 26.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 53, 188 का पेश कर कथन किया कि वादीगण की माता के नाम संयुक्त खाता में चक 34 जीजी के मु.नं. 70 के कि.नं. 1 से 10 की कुल 2.656 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण की माता का 1/5 हिस्सा यानि 0.531 है0 भूमि है। वादीगण की माता का देहान्त हो चुका है जिसके वादीगण वारिस है जिसमें वादीगण का 5/6 हिस्सा बनता है। घरू विभाजन व क्रय करने के अनुसार मु.नं. 70 के कि.नं. 5, 6, 15 की 2.02 बीघा भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादीगण वादी को भूमि से बेदखल करना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार विभाजन करने के लिए निवेदन किया किन्तु वे इन्कार हो गये। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का वर्ष 1986 से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके सम्बन्ध में घोषणा का वाद उपखंड अधिकारी सादुलशहर में विचाराधीन है। वादीगण ने गलत तथ्यों को आधार पर वाद पेश किया है। वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः निवेदन है कि वाद खारिज किया जावे।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये, सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक

26/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

26.12.2017 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार श्रीगंगानगर से मंगवाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

वकील अपीलांट एवं रेस्पो सं. 1 से 5 के मुखत्यारआम की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा न होकर अपीलांट व रेस्पों. संख्या 6 से 10 का चला आ रहा है जो तहसीलदार की रिपोर्ट से साबित है जिसे अधी.न्यायालय ने नहीं मानकर कानूनी भूल की है। अधी. न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय सही नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

रेस्पो.सं. 1 से 5 के मुखत्यारआम ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं विभाजन के प्रस्ताव मंगवाये है, वादीगगण का विवादित भूमि में हक व हिस्सा बनता है जिससे अपीलांट ने इन्कार नहीं किया है। अधी.न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित होने से अपील खारिज की जावे।

वकील अपीलांट एवं रेस्पों. के मुखत्यारआम द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि संयुक्त होने से वादीगण ने अधी.न्यायालय में विभाजन का एवं घोषणा का वाद पेश किया। वादीगण ने मु.नं. 70 के कि.नं. 1 से 10 व 15 की 2.656 है0 भूमि में 1/5 हिस्सा होने का वाद पेश किया जिससे प्रतिवादीगण ने इन्कार नहीं किया एवं प्रतिवादीगण ने समस्त भूमि पर अपना कब्जा होने एवं घोषणा का वाद उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष विचाराधीन होना बताया जबकि उपखंड अधिकारी सादुलशहर द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 04.12.2017 को

26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खारिज किया जा चुका है जिसके विरूद्ध अलग से अपील इस न्यायालय में पेश हुई है। अधी.न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण/रेस्पो. संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर